आयकर अपीलीय अधिकरण ,इन्दौर न्यायपीठ ,इन्दौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 674/इंदौर/2017

निर्धारण वर्ष : 2009-10

मे. माय कार भोपाल प्रा.लिमिटेड, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 2 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएडीसीएम 5390 क्यू		

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री सुमित नेमा, वरिष्ठ एडवोकेट, गगन तिवारी तथा पीयूष पाराशर, एडवोकट
राजस्व की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	07.06.2021
उद्घघोषणा तिथि	29.06.2021

आदेश

श्री मनीष बोरड ,लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित उपरोक्त शीर्षक की यह अपील निर्धारिती के अनुरोध पर दाखिल की गई है तथा यह विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-I, भोपाल (संक्षिप्त में आ.आ(अ)) के आदेश दिनांक 18.07.2017 के विरूध्द निदेशित है जो सहायक

आयकर आयुक्त 2(1), भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 31.03.2015 से उद्भूत है ।

2. सुनवाई के दौरान, निर्धारिती ने अपीलीय अधिकरण नियमों के नियम 11 के अधीन अपील का अतिरिक्त आधार लेने के संबंध में आवेदन दाखिल किया है । उक्त अतिरिक्त आधार का सार निम्न रूप से है :

> क्या प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों में, धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट आरोप अर्थात क्या शास्ति 'आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए' या ' आय के विवरण छिपाने' के लिए अधिरोपित की गई है, के संदर्भ में विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा संतुष्टि अभिलिखित किए बिना निर्धारिती पर धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जा सकती है ?

3. चूंकि उपरोक्त आधार पूर्णतः विधिक आधार है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेशनल थर्मल पॉवर कंपनी लिमिटेड 229 आईटीआर 383(एससी) प्रकरण में निर्णय की दृष्टि में हम इस अतिरिक्त आधार को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हैं । हमारे समक्ष, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि अधिरोपित शास्ति विधि के अनुसार त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के उपबंधों के अनुसार शास्ति या तो आय के विवरण छिपाने या आय के गलत विवरण दाखिल करने के लिए आरंभ की जा सकती है, जबकि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती के विरूद्ध कोई आरोप अभिलिखित नहीं किया है कि क्या शास्ति 'आय के गलत विवरण दाखिल करने या आय के विवरण छिपाने' के लिए अधिरोपित की गई है । लिखित निवेदन में उल्लिखित निर्णयों जिसमें मुख्यतः माननीय अधिकारिता उच्च न्यायालय के पीसीआईटी बनाम कुलवंत सिंह भाटिया के प्रकरण में आ.अ.सं. 9/2018 में निर्णय दिनांक 9.5.2018 शामिल है, पर निर्भरता रखते हुए निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि विद्वान निर्धारण

अधिकारी बिना किसी विनिर्दिष्ट आरोप के शास्ति कार्यवाही आरंभ करके अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है। इंदौर अधिकरण के वरद मेहता आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 प्रकरण में निर्णय दिनांक 06.12.2018 पर भी निर्भरता रखी गई ।

4. दूसरी ओर विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए सशक्त रूप से तर्क किए ।

5. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । निर्धारिती द्वारा विधिक आधार पर लिया गया मुद्दा विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए तथा विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पुष्टि की गई रु.21,20,000/- की शास्ति के अधिरोपण से संबंधित है। निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने शास्ति के अधिरोपण हेतु कोई आरोप अर्थात क्या शास्ति कार्यवाही आय के विवरण छिपाने के लिए आरंभ की गई है या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए आरंभ की गई है, विनिर्दिष्ट किए बिना शास्ति कार्यवाही अनुचित रूप से आरंभ की है । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई है कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन जारी नोटिस में यह विनिर्दिष्ट नहीं किया है कि किस आरोप पर शास्ति कार्यवाही आरंभ की गई हैं ।

6. इस तथ्य की जांच करने के लिए हमने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्ति कार्यवाही आरंभ करने हेतु 06.01.2016 को जारी आक्षेपित नोटिस का अध्ययन किया है ।

7. कथित कारण बताओ नोटिस के अवलोकन से हमने पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी ने केवल धारा का उल्लेख किया है परंतु विनिर्दिष्ट आरोप अर्थात क्या शास्ति आय के विवरण छिपाने के लिए आरंभ की गई है या आय के गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए आरंभ की गई है यह उल्लिखित नहीं किया गया है । अब न्यायनिर्णयन हेतु मुद्दा यह है कि क्या ऐसा नोटिस जो निर्धारिती के विरूद्ध अधिरोपित विनिर्दिष्ट आरोप के बारे में नहीं बताता, विधि की दृष्टि से वैध तथा स्वीकार्य है ?

8. हमने पाया कि हमारे समक्ष वरद मेहता के प्रकरण में आ.अ.सं. 693/इंदौर/16 दिनांक 06.12.2018 (उपरोक्त) प्रकरण में समान मुद्दा न्यायनिर्णयन हेतु आया था जिसमें हमने यह मुद्दा माननीय अधिकारिती उच्च न्यायालय के श्री कुलवंत सिंह भाटिया (उपरोक्त) प्रकरण में स्थापित अनुपातों का अनुसरण करके निर्धारिती के पक्ष में निर्णयित किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम मंजुनाथ कॉटन जिनिंग फैक्टरी (2013) 359 आईटीआर 565 (कर्ना) तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम एसएसएज(SSA'S) एमरल्ड मिड़ोज (2016) 73 टैक्समेन डॉट कॉम 248 (एससी) प्रकरण में निर्णय पर चर्चा करते हुए निम्न रूप से अभिधारित किया था -

> " प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर उचित रूप से विचार करने पर, इसी तरह इस तथ्य पर भी विचार करने पर कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आधार विधि की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करेगा क्योंकि नोटिस विनिर्दिष्ट नही था, हमारा मत है कि विद्वान अधिकरण ने आयकर आयुक्त बनाम मंजुनाथ कॉटन जिनिंग फैक्टरी (उपरोक्त) तथा आयकर आयुक्त बनाम एसएसएज (SSA'S) एमरल्ड मिडोज (उपरोक्त) निर्णय पर उचित रूप से निर्भरता रखते हुए निर्धारिती की अपील उचित रूप से स्वीकृत की है तथा प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित शास्ति आदेश अपास्त किया है ।"

9. अतः. ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों का आदरपूर्वक अनुसरण करते हुए तथा प्रकरण के वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों में हमारा विचारपूर्ण अभिमत है कि अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन जारी अभिकथित नोटिस दिनांक 29.12.2011 तथा 24.03.2015 अवैध, अपोषणीय तथा निर्धारण अधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग किए बिना जारी किया गया है । हम, तद्नुसार, इस विधिक आधार पर ही धारा 271(1)(सी) के अधीन अधिरोपित रु.21,20,000/- की शास्ति हटाने का निदेश देते है। हम, तद्नुसार निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन आरंभ की गई शास्ति कार्यवाही की वैधता पर लिया गया आधार स्वीकृत करते हैं । इस प्रकार निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारिती की अपील स्वीकृत की जाती है ।

10. परिणामतः निर्धारिती की अपील स्वीकृत की जाती है ।

यह आदेश 24.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(राजपाल यादव)	(मनीष बोरड)
उपाध्यक्ष	लेखा सदस्य

दिनांक : 24.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल